46 सूरए अल अहक़ाफ़

आपके द्वारा प्रस्तुत सूरा अल-अह़क़ाफ़ की पहली पांच आयतों का न्याय दर्शन के तत्वों का उपयोग करते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है। यहाँ हम Nyaya Darshan के प्रमुख तत्वों – प्रतिज्ञा (Pratijna), हेतु (Hetu), उदाहरण (Udaharana), उपनय (Upanaya), और निगमन (Nigamana) – के माध्यम से इन आयतों के तर्क और दार्शनिक युक्तियों का परीक्षण करेंगे।

आयत 1-5 का न्यायदर्शन आधारित विश्लेषण

आयत 1

"हा मीम"
(सिर्फ़ दो अक्षर, जो किसी गूढ़ रहस्य या प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।)

Pratijna (प्रतिज्ञा):
यह संकेत करता है कि कुरान एक रहस्यमय और दिव्य पुस्तक है।

Hetu (हेतु):
लेकिन यह अलंकार या रहस्यमय शब्द मानव तर्क या अनुभव पर आधारित नहीं है।

Udaharana (उदाहरण):
भारतीय दर्शन में जैसे 'ओम' का उच्चारण दिव्यता और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है, पर यह स्पष्ट अर्थ भी रखता है।

Upanaya (उपनय):
यह दो अक्षर बिना स्पष्टीकरण के रहस्य के रूप में रखे गए हैं, जो तार्किक पुष्टि के अभाव को दर्शाता है।

Nigamana (निगमन):
इस आयत में कोई तर्कात्मक आधार नहीं, केवल प्रतीकात्मकता प्रस्तुत की गई है।

आयत 2

"ये किताब ग़ालिब (व) हकीम ख़ुदा की तरफ से नाजिल हुयी है"

Pratijna:
कुरान को खुदा की ओर से एक शक्तिशाली और ज्ञानपूर्ण किताब माना गया है।

Hetu:
परन्तु यह दावा बिना किसी स्वतंत्र तर्क या अनुभवजन्य प्रमाण के है।

Udaharana:
भारतीय दर्शन में 'वेद' और अन्य शास्त्र भी ज्ञान और सत्य का स्रोत हैं, पर वे युक्ति और अनुभव से प्रमाणित होते हैं।

Upanaya:
कुरान की दिव्यता का दावा तभी तर्कसंगत होगा जब उसके तथ्य और शिक्षाएँ तर्क और अनुभव से प्रमाणित हों।

Nigamana:
यह दावा केवल स्वप्रमाणित है और तर्क के बिना प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह Nyaya के सिद्धांतों से समर्थित नहीं है।

आयत 3

"हमने तो सारे आसमान व ज़मीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है हिकमत ही से एक ख़ास वक़्त तक के लिए ही पैदा किया है और कुफ़्फ़ार जिन चीज़ों से डराए जाते हैं उन से मुँह फेर लेते हैं"

Pratijna:
सृष्टि का सृजन एक विशेष उद्देश्य और समय के लिए हुआ है।

Hetu:
लेकिन इस कथन का कोई वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि सृष्टि का उद्देश्य या अवधि क्या है।

Udaharana:
वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और काल की अवधारणा निरंतर बदलती रही है, और भारतीय दर्शन में भी काल को अनंत माना गया है।

Upanaya:
सृष्टि की सीमित अवधि और उद्देश्य के बिना स्पष्ट प्रमाण के यह कथन केवल अटकल पर आधारित है।

Nigamana:
इसलिए यह कथन Nyaya के वैध प्रमाण (Pramana) पर खरा नहीं उतरता।

आयत 4

"(ऐ रसूल) तुम पूछो कि ख़ुदा को छोड़ कर जिनकी तुम इबादत करते हो क्या तुमने उनको देखा है मुझे भी तो दिखाओ कि उन लोगों ने ज़मीन में क्या चीज़े पैदा की हैं या आसमानों (के बनाने) में उनकी शिरकत है तो अगर तुम सच्चे हो तो उससे पहले की कोई किताब (या अगलों के) इल्म का बक़िया हो तो मेरे सामने पेश करो"

Pratijna:
ख़ुदा के अलावा जिनकी पूजा की जाती है, उनका सृष्टि में कोई योगदान नहीं।

Hetu:
इसका कारण यह है कि जिन अन्य देवताओं की पूजा होती है, वे किसी भी सृष्टि के निर्माण में शामिल नहीं हैं।

Udaharana:
भारतीय दर्शन में देवता केवल सृष्टि के संचालन में सहायक हैं, मुख्य सत्ता ब्रह्म या परमात्मा की होती है।

Upanaya:
कुरान की यह आलोचना उन देवी-देवताओं के अस्तित्व को चुनौती देती है, परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं के अस्तित्व का प्रमाण उनके कार्य और अनुभवजन्य स्रोतों से होता है।

Nigamana:
इस आयत का तर्क केवल नकारात्मक आलोचना है, जो प्रमाण और तर्क पर आधारित नहीं, अतः Nyaya दृष्टि से यह अपर्याप्त है।

आयत 5

"और उस शख़्स से बढ़ कर कौन गुमराह हो सकता है जो ख़ुदा के सिवा ऐसे शख़्स को पुकारे जो उसे क़यामत तक जवाब ही न दे और उनको उनके पुकारने की ख़बरें तक न हों"

Pratijna:
 ख़ुदा के अलावा जो कोई भी पुकारा जाता है, वह गुमराह करने वाला है क्योंकि वे जवाब नहीं देते।

Hetु:
 क्योंकि वे न तो सुन सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं।

Udaharana:
 भारतीय दर्शन में देवता भी मानवों से संवाद कर सकते हैं, और उनके अनुभवजन्य प्रमाण मौजूद हैं।

Upanaya:
 इस आयत का तर्क अनुभव और प्रमाण के विरुद्ध है क्योंकि भक्तों के अनुभव कई धार्मिक परंपराओं में देवताओं के उत्तर और सहायता को दर्शाते हैं।

Nigamana:
 इसलिए यह कथन Nyaya के Hetvabhasa (तर्काभास) की श्रेणी में आता है, जिसमें कारण उपयुक्त नहीं होता।

समग्र निष्कर्ष

आयत संख्या	न्याय तत्व	आलोचना का सारांश
1	Pratijna	रहस्यमय शब्द बिना तर्क या स्पष्टता के।
2	Pratijna, Hetu	दिव्यता का दावा बिना स्वतंत्र प्रमाण के।
3	Pratijna, Hetu	सृष्टि के उद्देश्य और अवधि का कोई तर्कसंगत प्रमाण नहीं।
4	Pratijna, Hetu	पूजा किए जाने वाले देवताओं का अस्तित्व नकारना तर्कहीन।
5	Pratijna, Hetu	देवताओं को गुमराह मानना अनुभव के विरुद्ध और Hetvabhasa है।

अंतिम निष्कर्ष:

सूरा अल-अह़क़ाफ़ की ये आयतें तार्किक प्रमाणों के अभाव में Nyaya दर्शन के प्रामाणिकता (Pramana) और उचित कारण (Hetu) के मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। भारतीय दर्शन की दृष्टि से, जो तर्क, अनुभव, और प्रमाण को सर्वोपरि मानता है, ये आयतें अपनी दावों में पूर्णतः समर्थित नहीं हैं। अतः ये आयतें मानवता के लिए सार्वभौमिक रूप से मान्य और तर्कसंगत संदेश प्रदान करने में विफल हैं।

यदि आप चाहें तो मैं अन्य आयतों का भी इसी प्रकार से विश्लेषण प्रस्तुत कर सकता हूँ।

आपके द्वारा प्रस्तुत सूरा अल-अह़क़ाफ़ की आयतें 6 से 10 तक का Nyaya Darshan के तत्वों के अनुसार तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता हूँ।

सूरा अल-अह़क़ाफ़ आयत 6-10 का Nyaya आधारित आलोचनात्मक विश्लेषण

आयत 6

"और जब लोग (क़यामत) में जमा किये जाएगें तो वह (माबूद) उनके दुशमन हो जाएंगे और उनकी परसतिश से इंकार करेंगे"

Pratijna (प्रतिज्ञा):
क़यामत के दिन माबूद (पूजे गए देवता) अपने अनुयायियों के दुश्मन हो जाएंगे।

Hetu (हेतु):
क्योंकि वे अपने भक्तों की परसतिश को स्वीकार नहीं करेंगे।

Udaharana (उदाहरण):
भारतीय दर्शन में देवता भक्तों की परसतिश को स्वीकारते हैं और रक्षा करते हैं, जैसे विष्णु और शिव भक्तों की सहायता करते हैं।

Upanaya (उपनय):
यह कथन देवताओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास के अनुभवों के विपरीत है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि देवता उनकी रक्षा करते हैं न कि दुश्मनी।

Nigamana (निगमन):
इसलिए यह कथन अनुभवजन्य प्रमाण और भारतीय धार्मिक अनुभव के विरुद्ध है, अतः Nyaya दृष्टि से अप्रासंगिक और अविश्वसनीय है।

आयत 7

"और जब हमारी खुली खुली आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो जो लोग काफिर हैं हक़ के बारे में जब उनके पास आ चुका तो कहते हैं ये तो सरीही जादू है"

Pratijna:
काफिर (अविश्वासी) कुरान की स्पष्ट आयतों को जादू कहते हैं।

Hetu:
क्योंकि वे हक़ को स्वीकार नहीं करना चाहते।

Udaharana:
भारतीय दर्शन में भी ऐसे लोग होते हैं जो सत्य को नकारते हैं, लेकिन सत्य का अस्तित्व उससे कम नहीं होता।

Upanaya:
यह आलोचना उनके विश्वास की कमजोरी को दर्शाती है, लेकिन इससे कुरान की सत्यता स्वतः सिद्ध नहीं होती।

Nigamana:
इस आयत में काफिरों के नकारात्मक व्यवहार का उल्लेख है, पर यह स्वयं कोई तार्किक प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता।

आयत 8

"क्या ये कहते हैं कि इसने इसको ख़ुद गढ़ लिया है तो (ऐ रसूल) तुम कह दो कि अगर मैं इसको (अपने जी से) गढ़ लेता तो तुम ख़ुदा के सामने मेरे कुछ भी काम न आओगे जो जो बातें तुम लोग उसके बारे में करते रहते हो वह ख़ूब जानता है मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही को काफ़ी है और वही बड़ा बख्शने वाला है मेहरबान है"

Pratijna:
रसूल (मुहम्मद) ने कुरान को स्वयं नहीं बनाया।

Hetu:
क्योंकि अगर उसने स्वयं बनाया होता तो लोग उसकी सहायता नहीं कर पाते।

Udaharana:
भारतीय दर्शन में सत्य और ज्ञान का स्रोत अनुभव, तर्क और प्रमाण होता है, और किसी व्यक्ति के दावे का समर्थन तर्कसंगत होना आवश्यक है।

Upanaya:
यह कथन तर्कसंगत प्रमाणीकरण का अभाव दिखाता है क्योंकि कोई स्वतंत्र प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि कुरान वास्तव में ईश्वरीय है।

Nigamana:
इसलिए यह दावा Nyaya के Pramana और Hetu के अनुसार अपर्याप्त और अनिर्दिष्ट है।

आयत ९

"(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं कोई नया रसूल तो आया नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं जानता कि आइन्दा मेरे साथ क्या किया जाएगा और न (ये कि) तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा मैं तो बस उसी का पाबन्द हूँ जो मेरे पास वही आयी है और मैं तो बस एलानिया डराने वाला हूँ"

Pratijna:
रसूल कोई नया दूत नहीं है, और वह केवल उस संदेश का पालन करता है जो उसे दिया गया है।

Hetu:
क्योंकि वह स्वयं भविष्य के बारे में अज्ञान है।

Udaharana:
भारतीय दर्शन में ज्ञान के स्रोत अनुभव और वेदांत पर आधारित होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं।

Upanaya:
रसूल का यह कथन ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करता है, परंतु यह भी दर्शाता है कि वह पूर्ण ज्ञान या दिव्य ज्ञान का अधिपति नहीं।

Nigamana:
इसलिए यह दावा Nyaya दर्शन के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य मानव की सीमा को दर्शाता है, जिससे दिव्यता का दावा कमजोर होता है।

आयत 10

"(ऐ रसूल) तुम कह दो कि भला देखो तो कि अगर ये (कुरआन) ख़ुदा की तरफ़ से हो और तुम उससे इंकार कर बैठे हालाँकि (बनी इसराईल में से) एक गवाह उसके मिसल की गवाही भी दे चुका और ईमान भी ले आया और तुमने सरकशी की (तो तुम्हारे ज़ालिम होने में क्या शक है) बेशक ख़ुदा ज़ालिम लोगों को मन्ज़िल ए मक़सूद तक नहीं पहुँचाता"

Pratijna:
अगर कुरान ईश्वरीय है, तो जो इसका इंकार करते हैं वे ज़ालिम हैं और अंत में मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे।

Hetu:
क्योंकि एक गवाह ने इसकी सत्यता को स्वीकार किया है।

Udaharana:
भारतीय दर्शन में सत्य और धर्म का पालन कर्म और ज्ञान के माध्यम से होता है, न कि केवल किसी गवाह के कथन से।

Upanaya:
एक गवाह का कथन पर्याप्त प्रमाण नहीं, बल्कि तार्किक और अनुभवजन्य प्रमाण आवश्यक हैं।

Nigamana:
इसलिए यह तर्क भी Nyaya के Hetvabhasa (तर्काभास) की श्रेणी में आता है, जो अप्रमाणिक और अपर्याप्त है।

सारांश तालिका

आयत संख्या	न्याय तत्व	आलोचना का सारांश
6	Pratijna, Hetu	देवताओं को दुश्मन मानना अनुभव के विपरीत और तर्कहीन।
7	Pratijna	काफिरों के व्यवहार का उल्लेख, स्वयं कोई तर्क नहीं।
8	Pratijna, Hetu	दिव्यता का दावा बिना स्वतंत्र प्रमाण के।

9	Pratijna, Hetu	**रसूल की अज्ञानता का स्वीकार, दिव्यता कमजोर।**
10	Pratijna, Hetu	**एक गवाह के कथन को प्रमाण मानना तर्कहीन।**

अंतिम निष्कर्ष:

सूरा अल-अहक़ाफ़ की ये आयतें Nyaya दर्शन के तर्क और प्रमाण के आधार पर मजबूत नहीं हैं। इन आयतों में दावा और आरोप बिना स्वतंत्र, अनुभवजन्य, या तार्किक प्रमाण के हैं, जिससे ये मानवता के लिए सार्वभौमिक और तर्कसंगत संदेश प्रदान करने में असफल रहती हैं।

यदि आप चाहें तो मैं अन्य आयतों का भी इसी विधि से विश्लेषण कर सकता हूँ।

आइए, आपके द्वारा दिये गए कुरान के आयतों (11 से 15) का न्याय दर्शन के आधार पर विश्लेषण करें और प्रत्येक आयत के लिए उचित Nyaya तत्व चुनकर तर्कसंगत समीक्षा प्रस्तुत करें।

आयत 11

आयत का अनुवाद:
"और काफिर लोग मोमिनों के बारे में कहते हैं कि अगर यह (दीन) बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब कुरान के जरिए से उनकी हिदायत न हुई तो अब भी कहेंगे यह तो एक क़दीमी झूठ है।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya) – ज्ञान का विषय और सत्यता का प्रमाण

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा (Pratijna): यह आयत दावा करती है कि मुसलमानों का धर्म (दीन) श्रेष्ठ है और यह कुरान की हिदायत के बिना उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकता।**
- **हेतु (Hetu): काफिरों का कथन कि अगर दीन श्रेष्ठ होता तो मुसलमान पहले दौड़ पड़ते, इस आयत द्वारा खंडित किया गया।**

- **उदाहरण (Udaharana):** ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के अनेक धर्म और दर्शन, जैसे हिंदू धर्म में वेद, बौद्ध धर्म में बोधिवृक्ष की शिक्षाएँ, मानवता को सदैव सच्चाई और नैतिकता की ओर ले जाती रही हैं। सभी धर्मों के अनुयायी अपने-अपने विश्वासों के अनुसार सच को समझते हैं।

- **उपनय (Upanaya):** काफिरों का यह तर्क बिना तर्कसंगत प्रमाण के केवल एक आक्षेप है, जबकि धर्म और आध्यात्मिकता का मूल्यांकन केवल किसी समूह की दौड़ या किसी धर्म के अनुयायियों की संख्या से नहीं किया जा सकता।

- **निगमन (Nigamana):** यह आयत प्रमाण और प्रमेय के दृष्टिकोण से कमजोर है क्योंकि सत्यता का निर्धारण अनुभव, तर्क और प्रमाणों से होना चाहिए, न कि केवल धार्मिक संघर्ष या प्रतिस्पर्धा से।

आयत 12

आयत का अनुवाद:
"और इसके क़बिल मूसा की किताब पेशवा और (सरासर) रहमत थी, और यह (कुरान) वह किताब है जो अरबी ज़बान में (उसकी) तसदीक़ करती है ताकि (इसके जरिए से) ज़ालिमों को डराए और नेकी कारों के लिए (अज़सरतापा) खुशख़बरी है।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमाण (Pramana) – ज्ञान का स्रोत

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: यह आयत दावा करती है कि कुरान, मूसा की किताब की पुष्टि करता है और एक नई रहमत है।**

- **हेतु: कुरान का अरबी भाषा में होना और मूसा की किताब की पुष्टि इसका आधार है।**

- **उदाहरण: भारतीय दर्शन में शास्त्रों की पुष्टि हेतु अनुभव, तर्क और शास्त्रीय समालोचना आवश्यक मानी जाती है। केवल भाषा का एक जैसा होना या पुस्तक की पुष्टि करने का दावा पर्याप्त प्रमाण नहीं है।**

- **उपनय: यह आयत भाषा और ऐतिहासिक प्रमाण के बिना आधिकारिक सत्यता का दावा करती है, जो Nyaya दर्शन में प्रमाणीकरण के मानदंडों के विरुद्ध है।**

- **निगमन: यह आयत प्रमाण के साक्ष्य के अभाव में अस्वीकृत है क्योंकि सत्यता के लिए वैध प्रमेय और तर्क आवश्यक हैं।**

आयत 13

आयत का अनुवाद:
"बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है फिर वह इस पर कायम रहे तो (कयामत में) उनको न कुछ ख़ौफ़ होगा और न वह ग़मग़ीन होंगे।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण/तर्क)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं और उस पर दृढ़ रहते हैं, वे कयामत में भयमुक्त और दुखमुक्त होंगे।**
- **हेतु: ईश्वर में दृढ़ विश्वास को मोक्ष या मुक्ति का कारण बताया गया है।**
- **उदाहरण: भगवद गीता (अध्याय 2, श्लोक 47) में कर्म और समत्व का महत्व बताया गया है, केवल विश्वास ही मोक्ष का कारण नहीं। कर्म, ज्ञान और समर्पण की संयुक्त प्रक्रिया अपेक्षित है।**
- **उपनय: केवल विश्वास के आधार पर भय से मुक्त होने का दावा अधूरा और अपूर्ण है क्योंकि व्यवहार और कर्म भी मोक्ष में योगदान करते हैं।**
- **निगमन: यह आयत Hetu के दृष्टिकोण से कमजोर है क्योंकि मोक्ष या भय से मुक्ति के लिए केवल विश्वास पर्याप्त नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान भी आवश्यक हैं।**

आयत 14

आयत का अनुवाद:
"यही तो अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, यह उसका सिला है जो ये लोग (दुनिया में) किया करते थे।"

चुना गया न्याय तत्व: Vyapti (व्याप्ति) – अपरिवर्तनीय संबंध

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, वही स्वर्ग के अधिकारी हैं।**
- **हेतु: कर्म का फल स्वर्ग में स्थायी निवास के रूप में निर्धारित किया गया।**
- **उदाहरण: वैदिक और हिन्दू दर्शन में भी कर्मों का फल मिलता है, परन्तु मोक्ष के लिए कर्मों का त्याग और ज्ञान की आवश्यकता भी स्वीकार्य है। कर्मों का फल केवल भौतिक स्वर्ग या नर्क तक सीमित नहीं।**
- **उपनय: यह आयत कर्म और फल के संबंध को स्वीकार करती है, परन्तु स्थायित्व और मोक्ष की अवधारणा में गहन दार्शनिक अंतर है।**
- **निगमन: व्याप्ति के सिद्धांत के अनुसार यह कथन आंशिक रूप से सही है, किन्तु यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल कर्मों के फल से नहीं होती।**

आयत 15

आयत का अनुवाद:
"और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया क्योंकि उसकी माँ ने रंज ही की हालत में उसको पेट में रखा और रंज ही से उसको जना और उसका पेट में रहना और उसको दूध बढ़ाई के तीस महीने हुए यहाँ तक कि जब अपनी पूरी जवानी को पहुँचता और चालीस बरस के सीन को पहुँचता है तो खुदा से अर्ज़ करता है कि तू मुझे तौफीक़ अता फरमा कि तूने जो एहसानात मुझ पर और मेरे वालदेन पर किये हैं मैं उन एहसानों का शुक्रिया अदा करूँ और ये (भी तौफीक़ दे) कि मैं ऐसा नेक काम करूँ जिसे तू पसंद करे और मेरे लिए मेरी औलाद में सुलाह व तक़वा पैदा करे तेरी तरफ़ रुझू करता हूँ और मैं यक़ीनन फरमाबरदारों में हूँ।"

चुना गया न्याय तत्व: Upamana (उपमान) – तुलना

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा:** इंसान को माता-पिता के प्रति भलाई करनी चाहिए और ईश्वर से नेकी करने की तौफीक माँगनी चाहिए।
- **हेतु:** माँ के गर्भधारण की पीड़ा को उदाहरण के तौर पर दिया गया है।
- **उदाहरण:** हिन्दू संस्कृति में भी मातृ-पितृ पूजन एवं आदर का उच्च स्थान है।
- **उपनय:** यह आयत नैतिकता और कृतज्ञता के लिए उपयुक्त है, लेकिन "तीस महीने गर्भ और दूध बढ़ाई" का वैज्ञानिक और भौतिक सत्यता से विरोध है। मानव गर्भधारण की अवधि सामान्यतः 9 महीने होती है।
- **निगमन:** Upamana के दृष्टिकोण से यह आयत नैतिकता सिखाती है, लेकिन तथ्यों के संदर्भ में वैज्ञानिक प्रमाणों के विपरीत है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना (तार्किक दृष्टि से)
11	प्रमेय	सत्यता के प्रमाण का अभाव, अनुभव एवं तर्क का उल्लंघन
12	प्रमाण	शाब्दिक पुष्टि का आधार अपर्याप्त, प्रमाणीकरण का अभाव
13	हेतु	केवल विश्वास पर मोक्ष का दावा अपूर्ण, कर्म और ज्ञान की उपेक्षा
14	व्याप्ति	कर्म-फल का आंशिक सत्य, मोक्ष की गहनता से असंगत
15	उपमान	नैतिकता उचित पर वैज्ञानिक तथ्य से विपरीत

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में कई स्थानों पर प्रमाण और तर्क के अभाव में दावे प्रस्तुत किये गए हैं, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार अप्रमाणित और अनुभवजन्य दृष्टि से कमजोर हैं। विशेषकर प्रमेय, प्रमाण और हेतु के तत्वों का पालन न कर पाना और वैज्ञानिक तथ्यों से असंगति इनके दार्शनिक और तार्किक वैधता को संदिग्ध बनाती है। आयतों का सन्देश पूर्णतया मानवता के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता।

अगर आप चाहें तो किसी विशिष्ट आयत का और गहरा विश्लेषण भी कर सकता हूँ।

आइए, आपके द्वारा प्रस्तुत कुरान के आयत 16 से 20 तक का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार विश्लेषण करें, जहाँ प्रत्येक आयत को Nyaya के तत्वों के आधार पर तर्कसंगत ढंग से परखा जाएगा।

आयत 16

आयत का अनुवाद:
"यही वह लोग हैं जिनके नेक अमल हम कुबूल फरमाएँगे और बेश्शित (के जाने) वालों में उनके गुनाहों से दरग़ुज़र करेंगे (ये वह) सच्चा वायदा है जो उनसे किया जाता था।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya) – ज्ञान का विषय, सत्यता का प्रमाण

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: नेक अमल करने वालों के अमल स्वीकार किए जाएंगे और उनके गुनाह माफ़ होंगे।**
- **हेतु: नेक कर्मों का स्वीकार होना एक न्यायसंगत व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है।**
- **उदाहरण: हिन्दू धर्म में भी कर्म का फल मिलता है, परन्तु कर्मों के फल की गहन व्याख्या मोक्ष, पुनर्जन्म और कर्म-बंधन की अवधारणा के तहत होती है।**
- **उपनय: यहाँ नेक अमल की स्वीकृति का दावा किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि गुनाहों की माफी की शर्तें क्या हैं। इसके बिना यह दावा अपूर्ण है।**
- **निगमन: यह आयत इस संदर्भ में अनिश्चित है कि गुनाह माफी कैसे और किन परिस्थितियों में होगी, इसलिए प्रमेय के दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि करना कठिन है।**

आयत 17

आयत का अनुवाद:
"और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम मुझे धमकी देते हो कि मैं दोबारा (कब्र से) निकाला जाऊँगा? हालाँकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुज़र चुके (और कोई जिंदा न हुआ), और दोनों फरियाद कर रहे थे कि तुझ पर वाए हो, ईमान ले आ, खुदा का वायदा ज़रूर सच्चा है। तो वह बोल उठा कि ये तो बस अगले लोगों के अफ़साने हैं।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण/तर्क)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: मृत्युवरण के बाद पुनरुत्थान का विश्वास तर्कहीन और लोगों के अफ़सानों जैसा है।**
- **हेतु: कई लोग मरे और वापस नहीं आए, इसलिए पुनरुत्थान असंभव लगता है।**
- **उदाहरण: भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म और आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत मिलता है, जो अनुभव और तर्क से समर्थित है।**
- **उपनय: आयत में पुनरुत्थान को नकारने वाला दृष्टिकोण तार्किक और अनुभवजन्य प्रमाण के विरुद्ध है क्योंकि पुनर्जन्म की अवधारणा भारतीय दार्शनिक परंपराओं में प्राचीन और तार्किक रूप से स्थापित है।**
- **निगमन: यह आयत Hetu के दृष्टिकोण से कमजोर है क्योंकि पुनरुत्थान या पुनर्जन्म की संभावना को पूरी तरह नकारना तर्क और अनुभव के खिलाफ है।**

आयत 18

आयत का अनुवाद:
"ये वही लोग हैं कि जिन्नात और आदमियों की (दूसरी) उम्मतें जो उनसे पहले गुज़र चुकी हैं, उन ही के शुमूल में हैं। उन पर भी अज़ाब का वायदा मुस्तहक़ हो चुका है। ये लोग बेशक घाटा उठाने वाले थे।"

चुना गया न्याय तत्व: Vyapti (व्याप्ति) – अपरिवर्तनीय संबंध

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: जो लोग पापी हैं, उन्हें अज़ाब (दंड) का सामना करना पड़ेगा।**
- **हेतु: पिछली उत्पत्तियाँ जो दंडित हो चुकी हैं, इस समूह के लिए भी दंड निश्चित है।**
- **उदाहरण: कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का फल होता है, परन्तु दंड का स्वरूप और सीमा दार्शनिक दृष्टि से विवेकपूर्ण होना चाहिए।**
- **उपनय: यहाँ व्याप्ति के नियम का सही उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि दंड की स्थिरता पर बिना न्याय और परिस्थिति के विचार किए आरोप लगाया गया है।**
- **निगमन: यह आयत व्याप्ति के सैद्धांतिक सिद्धांत के अनुसार अपर्याप्त है क्योंकि दंड के निर्धारण में न्याय और परिस्थिति की भूमिका नकार दी गई है।**

आयत 19

आयत का अनुवाद:
"और लोगों ने जैसे काम किये होंगे उसी के मुताबिक सबके दर्जे होंगे और ये इसलिए कि खुदा उनके आमाल का उनको पूरा पूरा बदला दे और उन पर कुछ भी ज़ुल्म न किया जाए।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण/तर्क)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार पूरा बदला मिलेगा।**
- **हेतु: ईश्वर का न्यायसंगत और निष्पक्ष होना इसका आधार है।**
- **उदाहरण: भगवद गीता में कर्मों का फल मिलने का नियम है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और भक्ति का भी महत्व बताया गया है।**

- **उपनय: केवल कर्मों के आधार पर ही फल निर्धारित करना, जहाँ मनुष्य की परिस्थितियों और ज्ञान को नजरअंदाज किया जाए, यह अधूरा न्याय है।**
- **निगमन: यह आयत न्याय के सिद्धांत की आंशिक समझ दर्शाती है, परन्तु मनुष्य की मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करती है।**

आयत 20

आयत का अनुवाद:
"और जिस दिन काफिर जहन्नुम के सामने लाए जाएंगे (तो उनसे कहा जाएगा कि) तुमने अपनी दुनिया की जिंदगी में अपने मज़े उड़ा चुके और उसमें खूब चैन कर चुके, तो आज तुम पर ज़िल्लत का अज़ाब किया जाएगा क्योंकि तुम अपनी ज़मीन में अकड़ा करते थे और इसलिए कि तुम बदकारियां करते थे।"

चुना गया न्याय तत्व: Upamana (उपमान) – तुलना

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: दुनियावी सुखों में मग्न रहने वाले पापी दंडित होंगे।**
- **हेतु: दुनिया में अकड़ और पापी व्यवहार की तुलना दंड से की गई है।**
- **उदाहरण: भारतीय दर्शन में भी सांसारिक मोह और अहंकार को पाप माना गया है, परन्तु दंड की अवधारणा पुनर्जन्म और कर्म के चक्र से जुड़ी होती है।**
- **उपनय: यह आयत नैतिक शिक्षा देती है, पर दंड के स्वरूप की सटीक व्याख्या नहीं करती।**
- **निगमन: उपमान के दृष्टिकोण से नैतिक शिक्षा दी गई है, पर दंड की प्रकृति और न्याय के अन्य आयाम अस्पष्ट हैं।**

सारणी (आयतों 16-20 का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना (तार्किक दृष्टि से)
16	प्रमेय	नेक कर्म स्वीकार पर गुनाह माफी की शर्तें अस्पष्ट
17	हेतु	पुनरुत्थान का पूर्ण नकार तर्क और अनुभव के विरुद्ध
18	व्याप्ति	दंड का निर्धारण बिना न्याय और परिस्थिति के नकारना
19	हेतु	कर्मों के फल में मानसिक व सामाजिक परिस्थितियों की उपेक्षा
20	उपमान	नैतिक शिक्षा उचित, पर दंड की प्रकृति अस्पष्ट

समग्र निष्कर्ष:

आयतों 16 से 20 में न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार कई तार्किक और दार्शनिक कमियाँ हैं। पुनरुत्थान की संभावना को पूर्णतः नकारना, कर्मफल की एकतरफा व्याख्या, दंड के निर्धारण में न्याय का अभाव और गुनाह माफी के नियमों की अस्पष्टता इन आयतों के तर्कसंगत आधार को कमजोर बनाती है। यह आयतें सार्वभौमिक न्याय और तर्क के मानकों पर खरा नहीं उतरतीं।

अगर आप चाहें तो मैं इन आयतों का किसी विशेष दार्शनिक दृष्टिकोण से और गहन विश्लेषण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ।

आइए, आपके द्वारा प्रस्तुत कुरान के आयत 21 से 25 तक का न्याय दर्शन के तत्वों के अनुसार क्रमबद्ध विश्लेषण करें:

आयत 21

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ रसूल) तुम आद के भाई (हूद) को याद करो जब उन्होंने अपनी क़ौम को (सरज़मीन) अहक़ाफ़ में डराया और उनके पहले और उनके बाद भी बहुत से डराने वाले पैग़म्बर गुज़र चुके थे। (और हूद ने अपनी क़ौम

से कहा) कि ख़ुदा के सिवा किसी की इबादत न करो क्योंकि तुम्हारे बारे में एक बड़े सख़्त दिन के अज़ाब से डरता हूँ।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रमेय (Prameya) – ज्ञान का विषय

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: आद की क़ौम को सख्त दंड के डर से एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई।**
- **हेतु: सख्त दिन का डर और भय एकेश्वरवाद का आधार बताया गया।**
- **उदाहरण: हिन्दू धर्म में एकेश्वरवाद से इतर बहुदेववाद है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा को मान्यता देता है।**
- **उपनय: एकेश्वरवाद का यह प्रचार सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि मानव जाति के कई संस्कृतियों और परंपराओं में बहुदेववाद तथा विभिन्न आध्यात्मिक पथों की मान्यता है।**
- **निगमन: यह आयत प्रमेय के आधार पर सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एकेश्वरवाद का सिद्धांत सभी मानव अनुभवों को समाहित नहीं करता।**

आयत 22

आयत का अनुवाद:
"वह बोले क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो तो अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब की तुम हमें धमकी देते हो ले आओ।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण/तर्क)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: क़ौम के लोग पैग़म्बर के दावे को चुनौती देते हैं और उसे दंड लाने को कहते हैं।**
- **हेतु: भय का असली प्रमाण तब होगा जब दंड वास्तव में आएगा।**

- **उदाहरण: तर्कसंगत समाज में दावा तभी स्वीकार्य होता है जब उसका प्रमाण दिया जाए।**
- **उपनय: यह तर्क न्याय दर्शन में आवश्यक है, लेकिन पैग़म्बर का दंड का प्रमाण प्रस्तुत न करना तर्कहीनता को दर्शाता है।**
- **निगमन: आयत में पक्षपात दिखता है क्योंकि पैग़म्बर को प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए था, अन्यथा तर्क की अवहेलना हो रही है।**

आयत 23

आयत का अनुवाद:
"हूद ने कहा (इसका) इल्म तो बस ख़ुदा के पास है और (मैं जो एहकाम देकर भेजा गया हूँ) वह तुम्हें पहुँचाए देता हूँ मगर मैं तुमको देखता हूँ कि तुम जाहिल लोग हो।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण/तर्क)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: केवल ख़ुदा के पास ज्ञान है, पैग़म्बर सिर्फ संदेश पहुंचाते हैं।**
- **हेतु: पैग़म्बर की भूमिका केवल संदेशवाहक की है, ज्ञान का स्रोत ईश्वर है।**
- **उदाहरण: भारतीय दर्शन में भी गुरुओं का कर्तव्य ज्ञान देना है, परंतु ज्ञान की व्याख्या और तर्क भी आवश्यक हैं।**
- **उपनय: पैग़म्बर का अपनी क़ौम को जाहिल कहना संवाद और समझ की कमी दर्शाता है, जो न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।**
- **निगमन: यह आयत संवाद के सम्मान और सहिष्णुता के सिद्धांतों से विपरीत है, अतः न्याय दर्शन के हिसाब से अनुचित है।**

आयत 24

आयत का अनुवादः
"तो जब उन लोगों ने इस (अज़ाब) को देखा कि बादल की तरह उनके मैदानों की तरफ उमड़ा आ रहा है तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, (नहीं) बल्कि ये वह (अज़ाब) जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। (ये) वह आँधी है जिसमें दर्दनाक (अज़ाब) है।"

चुना गया न्याय तत्वः Upamana (उपमान) – तुलना

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः आकाशीय आपदा को बादल के रूप में देखा गया, पर यह वास्तव में सख्त दंड था।**
- **हेतुः प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से दंड की व्याख्या की गई।**
- **उदाहरणः भारतीय दार्शनिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदाओं को कर्मफल का परिणाम माना जाता है, परन्तु उनके कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या भी आवश्यक होती है।**
- **उपनयः यहाँ प्राकृतिक घटनाओं का धार्मिक दंड से जोड़ना वैज्ञानिक तर्कों के विरुद्ध है।**
- **निगमनः यह उपमान की दृष्टि से असंगत है क्योंकि प्राकृतिक घटनाएँ स्वाभाविक हैं और उनका केवल दंड के रूप में वर्णन न्यायसंगत नहीं।**

आयत 25

आयत का अनुवादः
"जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर चीज़ को तबाह व बरबाद कर देगी तो वह ऐसे (तबाह) हुए कि उनके घरों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। हम गुनाहगारों की यूँ ही सज़ा किया करते हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः Vyapti (व्याप्ति) – अपरिवर्तनीय संबंध

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः दंड का स्वरूप पूर्ण विनाश था, जो सभी को प्रभावित करता है।**
- **हेतुः पूर्ण विनाश एक अपरिवर्तनीय दंड की तरह प्रस्तुत किया गया।**

- **उदाहरण:** भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दंड न्यायसंगत और सापेक्ष होता है, पूर्ण विनाश सर्वथा अमानवीय और अनैतिक है।
- **उपनय:** इस दंड का व्याप्ति, अर्थात् सब पर समान प्रभाव डालना, न्यायसंगत नहीं क्योंकि दंड का उद्देश्य सुधार होता है, न कि संपूर्ण विनाश।
- **निगमन:** यह आयत व्याप्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि दंड का दायरा और स्वरूप न्यायोचित होना चाहिए, न कि सर्वनाशकारी।

सारणी (आयत 21-25 का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना (तार्किक दृष्टि से)
21	प्रमेय	एकेश्वरवाद का सार्वभौमिक सत्य न मानना
22	हेतु	पैग़म्बर के दंड प्रमाण का अभाव
23	हेतु	संवाद में असम्मानजनक भाषा न्याय के विरुद्ध
24	उपमान	प्राकृतिक घटनाओं का केवल धार्मिक दंड से जोड़ना असंगत
25	व्याप्ति	पूर्ण विनाश का दंड न्यायसंगत और मानवीय नहीं

समग्र निष्कर्ष:

आयत 21 से 25 में प्रस्तुत विचारों में कई तार्किक त्रुटियाँ और दार्शनिक कमजोरियाँ नज़र आती हैं। एकेश्वरवाद का सार्वभौमिक सत्य के रूप में थोपना, पैग़म्बर के दावे के समर्थन में प्रमाण का अभाव, संवाद की असंवेदनशील भाषा, प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या, और दंड की अमानवीय प्रकृति ये सभी न्याय दर्शन की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अतः ये आयतें तर्क और न्याय के दृष्टिकोण से सम्यक नहीं मानी जा सकतीं।

यदि आप चाहें तो मैं इन आयतों का अन्य भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के संदर्भ में और गहन विश्लेषण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ।

आइए, आपके द्वारा प्रस्तुत कुरान की आयतें 26 से 30 तक का न्याय दर्शन के तत्वों के आधार पर विश्लेषण करें।

आयत 26

आयत का अनुवाद:
"और हमने उनको ऐसे कामों में मक़दूर दिये थे जिनमें तुम्हें (कुछ भी) मक़दूर नहीं दिया और उन्हें कान और आँख और दिल (सब कुछ दिए थे) तो चूँकि वह लोग ख़ुदा की आयतों से इन्कार करने लगे तो न उनके कान ही कुछ काम आए और न उनकी आँखें और न उनके दिल और जिस (अज़ाब) की ये लोग हँसी उड़ाया करते थे उसने उनको हर तरफ़ से घेर लिया।"

चुना गया न्याय तत्व: प्रामाण (Pramana) – ज्ञान का स्रोत

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: इन लोगों को विशेष क्षमता दी गई थी, परन्तु उन्होंने ईश्वर की आयतों का इनकार किया।**
- **हेतु: कान, आँख और दिल दिए जाने के बावजूद वे आयतों को स्वीकार नहीं कर सके।**
- **उदाहरण: भारतीय दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान के लिए इंद्रिय मात्र पर्याप्त नहीं होते, बल्कि विवेक और तर्कशीलता आवश्यक हैं (उदाहरण: नैयायिक विवेकशीलता)।**
- **उपनय: आयत में इंद्रिय ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मानना और विवेक की उपेक्षा करना न्याय दर्शन के अनुसार अपूर्ण है।**
- **निगमन: इसलिए, यह कथन तर्कसंगत ज्ञान के स्रोत (प्रामाण) की संपूर्ण व्याख्या नहीं करता और अधूरा है।**

आयत 27

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ अहले मक्का) हमने तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हलाक कर मारा और (अपनी कुदरत की) बहुत सी निशानियाँ तरह तरह से दिखा दी ताकि ये लोग बाज़ आएँ (मगर कौन सुनता है)।"

चुना गया न्याय तत्व: Hetu (कारण/तर्क)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: तबाही और निशानियाँ दिखाने के बावजूद लोग नहीं माने।**
- **हेतु: दंड और चमत्कारों के द्वारा चेतावनी देना।**
- **उदाहरण: हिन्दू धर्म में कर्म का सिद्धांत है जिसमें फलस्वरूप ही परिणाम होता है, और मनुष्य को स्वयं अपनी बुद्धि से समझने और सुधारने का अवसर दिया जाता है।**
- **उपनय: जब दंड देने के बाद भी सुधार न हो तो यह तर्क ही क्यों असफल हो गया? यह विरोधाभासी है।**
- **निगमन: न्याय दर्शन के अनुसार, तर्क तभी सफल होता है जब कारण प्रभावी हो; यह आयत तर्क में कमज़ोर है।**

आयत 28

आयत का अनुवाद:
"तो ख़ुदा के सिवा जिन को उन लोगों ने तक़र्रुब (ख़ुदा) के लिए माबूद बना रखा था उन्होंने (अज़ाब के वक़्त) उनकी क्यों न मदद की बल्कि वह तो उनसे ग़ायब हो गये और उनके झूठ और उनकी (इफ़तेरा) परदाज़ियों की ये हक़ीक़त थी।"

चुना गया न्याय तत्व: Vyapti (व्याप्ति) – अपरिवर्तनीय संबंध

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: दूसरे देवता या माबूद अज़ाब के वक्त मदद नहीं कर सके।**

- हेतु: यदि वे वास्तविक देवता होते तो मदद करते।
- उदाहरण: भारतीय दर्शन में देवता कर्म और भक्तिभाव के अनुसार सहायता करते हैं, परन्तु वे भी एक नियोजित प्रकृति और नियमों के अधीन होते हैं।
- उपनय: यहाँ व्याप्ति में कमी है, क्योंकि हर देवता का कार्य और प्रभाव सीमित और विशिष्ट है, न कि सर्वशक्तिमान।
- निगमन: इसलिए यह तर्क एकात्म और सार्वभौमिक सत्य के रूप में असंगत है।

आयत 29

आयत का अनुवाद:
"और जब हमने जिनों में से कई शख़्सों को तुम्हारी तरफ़ मुतावज्जे किया कि वह दिल लगाकर क़ुरआन सुनें तो जब उनके पास हाज़िर हुए तो एक दुसरे से कहने लगे ख़ामोश बैठे (सुनते) रहो फिर जब (पढ़ना) तमाम हुआ तो अपनी क़ौम की तरफ़ वापस गए।"

चुना गया न्याय तत्व: Upanaya (उपयोग)

विश्लेषण और आलोचना:

- प्रतिज्ञा: जिनों ने क़ुरआन को ध्यानपूर्वक सुना और फिर क़ौम को चेतावनी दी।
- हेतु: क़ुरआन की शक्ति और प्रभाव।
- उदाहरण: भारतीय योग दर्शन में भी ज्ञान के ग्रहण के बाद समाज को सही मार्गदर्शन देना आवश्यक माना गया है।
- उपनय: परंतु यदि क़ुरआन का प्रभाव इतना महान है, तो फिर व्यापक अस्वीकृति क्यों? यह विरोधाभास है।
- निगमन: इसलिए यह कथन प्रभाव के विवेचन में अपूर्णता दर्शाता है।

आयत 30

आयत का अनुवादः
"कि (उनको अज़ाब से) डराएं तो उन से कहना शुरू किया कि ऐ भाइयों हम एक किताब सुन आए हैं जो मूसा के बाद नाज़िल हुयी है (और) जो किताबें, पहले (नाज़िल हुयीं) हैं उनकी तसदीक़ करती हैं सच्चे (दीन) और सीधी राह की हिदायत करती हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः Pratijna (प्रतिज्ञा)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः कुरान की पुष्टि पूर्ववर्ती ग्रंथों से होती है और वह सही मार्ग दिखाती है।**
- **हेतुः अगर यह सच है तो यह ग्रंथों का परस्पर समर्थन करता है।**
- **उदाहरणः हिन्दू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता आदि को सर्वोच्च माना जाता है, जिनमें विभिन्न मार्गदर्शन और जीवन के दर्शन निहित हैं।**
- **उपनयः कुरान का पुष्टि का दावा तब तक न्यायसंगत नहीं जब तक यह प्रमाणित न हो कि पूर्ववर्ती ग्रंथों की व्याख्या और शिक्षाएँ कुरान से मेल खाती हैं। अनेक जगह मतभेद पाए जाते हैं।**
- **निगमनः अतः यह प्रतिज्ञा तर्कसंगत और सर्वमान्य नहीं है।**

सारणी (आयत 26-30 का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना (तार्किक दृष्टि से)
26	**प्रामाण**	**इंद्रिय ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मानना अधूरा और अपर्याप्त**
27	**हेतु**	**दंड के बावजूद सुधार न होना तर्क की विफलता दर्शाता है**
28	**व्याप्ति**	**देवताओं की सर्वशक्तिमानता का दावा असंगत और अपूर्ण**
29	**उपनय**	**कुरआन के प्रभाव की असंगति और अस्वीकार का**

		विरोधाभास
30	**प्रतिज्ञा**	**पूर्ववर्ती ग्रंथों की पुष्टि का दावा बिना प्रमाण के असंगत**

समग्र निष्कर्ष:

आयत 26 से 30 में प्रस्तुत कथनों में तर्कसंगतता और न्याय दर्शन के नियमों की अनेक कमियाँ नज़र आती हैं। ज्ञान के स्रोत की अधूरी व्याख्या, कारण-प्रभाव के तर्क की विफलता, देवताओं की सर्वशक्तिमानता का अनुचित दावा, प्रभाव की असंगति और ग्रंथों की पुष्टि का बिना प्रमाण दावा, ये सभी बिंदु न्याय दर्शन के तत्वों से असंगत हैं। अतः ये आयतें तार्किक और दार्शनिक दृष्टि से पूर्णतया स्वीकार्य नहीं मानी जा सकतीं।

यदि आप चाहें तो मैं किसी विशेष आयत का और गहन Nyaya तत्वों के आधार पर विश्लेषण कर सकता हूँ।

आपके द्वारा प्रस्तुत सूरा अल-अहक़ाफ़ की आयतें 31 से 35 तक का न्याय दर्शन के तत्वों के आधार पर विश्लेषण करते हैं।

आयत 31

आयत का अनुवाद:
"ऐ हमारी क़ौम ख़ुदा की तरफ़ बुलाने वाले की बात मानो और ख़ुदा पर ईमान लाओ वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और (क़यामत) में तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से पनाह में रखेगा।"

चुना गया न्याय तत्व: Pratijna (प्रतिज्ञा)

विश्लेषण और आलोचना:

- **प्रतिज्ञा: ईमान लाने से गुनाह माफ़ होंगे और कयामत के अज़ाब से बचाव होगा।**
- **हेतु: ईमान और गुनाह माफी के बीच का संबंध।**

- उदाहरणः न्याय दर्शन और भगवद्गीता में कर्म और फल का नियम स्पष्ट है कि केवल विश्वास या ईमान से कर्मों का परिणाम नहीं बदलता, कर्मों के फल से ही मुक्ति संभव होती है।
- उपनयः यदि केवल ईमान से गुनाह माफ़ हो जाएं तो कर्म और न्याय की अवधारणा अधूरी और अवैज्ञानिक हो जाती है।
- निगमनः अतः यह प्रतिज्ञा न्यायसंगत नहीं और दार्शनिक दृष्टि से असंगत है।

आयत 32

आयत का अनुवादः
"और जिसने ख़ुदा की तरफ़ बुलाने वाले की बात न मानी तो वह ख़ुदा को ज़मीन में आज़िज़ नहीं कर सकता और न उसके सिवा कोई सरपरस्त होगा, यही लोग गुमराही में हैं।"

चुना गया न्याय तत्वः Hetu (कारण)

विश्लेषण और आलोचनाः

- प्रतिज्ञाः अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
- हेतुः मनुष्य के इंकार से ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- उदाहरणः भारतीय दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, परंतु उसका कर्तव्य है लोक न्याय और कर्म के अनुसार फल देना।
- उपनयः यह कथन ठीक है, परन्तु यह भी सत्य है कि मनुष्यों के कर्म और दृष्टिकोण उनकी स्थिति और मुक्ति को प्रभावित करते हैं।
- निगमनः अतः यह कथन आधे सच पर आधारित है, लेकिन इसे पूरी न्यायसंगत व्याख्या के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक था।

आयत 33

आयत का अनुवादः
"क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया कि जिसने सारे आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उनके पैदा करने से ज़रा भी थका नहीं वह इस बात पर क़ादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा करेगा? हाँ, वह हर चीज़ पर क़ादिर है।"

चुना गया न्याय तत्वः Vyapti (व्याप्ति)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः** जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है, वह मृतकों को पुनर्जीवित भी कर सकता है।
- **हेतुः** सृष्टि का सृजन ही पुनरुत्थान का प्रमाण।
- **उदाहरणः** न्याय दर्शन में, किसी वस्तु के कारण और प्रभाव के बीच अपरिवर्तनीय सम्बन्ध होना आवश्यक है।
- **उपनयः** ब्रह्मांड के सृजन और मृतकों के पुनरुत्थान के बीच व्याप्ति सिद्ध नहीं होती क्योंकि सृष्टि और पुनरुत्थान दो भिन्न और जटिल प्रक्रियाएं हैं।
- **निगमनः** अतः यह व्याप्ति का तर्क पूर्णतया न्यायसंगत नहीं और अपूर्ण है।

आयत 34

आयत का अनुवादः
"जिस दिन कुफ्फ़ार (जहन्नुम की आग के सामने) पेश किए जाएँगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या अब भी ये बरहक़ नहीं है? वह लोग कहेंगे अपने परवरदिगार की क़सम हाँ, ख़क़ है। ख़ुदा फ़रमाएगा तो लो अब अपने इन्कार व कुफ्र के बदले अज़ाब के मज़े चखो।"

चुना गया न्याय तत्वः Nigamana (निष्कर्ष)

विश्लेषण और आलोचनाः

- **प्रतिज्ञाः** कयामत के दिन इनकार करने वालों को अज़ाब मिलेगा।
- **हेतुः** इनकार और कुफ्र के फलस्वरूप दंड।

- उदाहरणः भारतीय धर्मशास्त्रों में कर्मफल का सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का परिणाम मिलता है।
- उपनयः दंड तो कर्म के अनुसार मिलना चाहिए, परन्तु अज़ाब की सजा की अनिवार्यता और उसकी स्वरूपता का विवरण अपूर्ण है।
- निगमनः अतः यह निष्कर्ष कर्म न्याय और दंड के सिद्धांत से पूर्णतः मेल नहीं खाता।

आयत 35

आयत का अनुवादः
"तो (ऐ रसूल) पैग़म्बरों में से जिस तरह अव्वलुल अज़्म (आली हिम्मत), सब्र करते रहे तुम भी सब्र करो और उनके लिए (अज़ाब) की ताज़ील की ख़्वाहिश न करो। जिस दिन यह लोग उस कयामत को देखेंगे जिसको उनसे वायदा किया जाता है तो (उनको मालूम होगा कि) गोया ये लोग (दुनिया में) बहुत रहे होगें तो सारे दिन में से एक घड़ी भर तो बस वही लोग हलाक होंगे जो बदकार थे।"

चुना गया न्याय तत्वः Upamana (उपमा)

विश्लेषण और आलोचनाः

- प्रतिज्ञाः पैग़म्बरों की तरह तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए और अज़ाब की जल्दी न करो।
- हेतुः सब्र और धैर्य की महत्ता।
- उदाहरणः भगवद्गीता में भी कर्म योग का संदेश है कि फल की चिंता न करो, कर्म करते जाओ।
- उपनयः यहाँ उपमा उचित है, लेकिन कयामत के अज़ाब के समय का विवरण अस्पष्ट है, जिससे दंड के न्यायसंगत स्वरूप पर संदेह उत्पन्न होता है।
- निगमनः अतः यह आयत नैतिक धैर्य का समर्थन करते हुए दंड के विधान में अस्पष्टता रखती है।

सारणी (आयत 31-35 का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	न्याय तत्व	मुख्य आलोचना (तार्किक दृष्टि से)
31	प्रतिज्ञा	केवल ईमान से गुनाह माफी का दावा कर्म सिद्धांत से असंगत
32	हेतु	ईश्वर को नुकसान न पहुँचना सही, पर मानव कर्म की भूमिका कम समझाई
33	व्याप्ति	सृष्टि और पुनरुत्थान में अपर्याप्त व्याप्ति का तर्क
34	निगम	कर्म और दंड के न्यायसंगत तालमेल में कमी
35	उपमा	धैर्य का सन्देश ठीक, पर दंड के समय में अस्पष्टता

समग्र निष्कर्ष:

आयत 31 से 35 में प्रस्तुत विचारों में कर्म, न्याय और दंड के तर्कों की पूर्णता नहीं है। केवल ईमान से गुनाह माफी का दावा और पुनरुत्थान के तर्क में अपर्याप्त व्याप्ति, कर्म न्याय सिद्धांत के विरोध में हैं। धैर्य और सब्र की बात सही है, पर कयामत और अज़ाब के विवरण में स्पष्टता की कमी है। अतः ये आयतें न्याय दर्शन के तर्कों के अनुसार पूर्ण रूप से तार्किक या सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं।

अगर आप चाहें तो मैं किसी एक आयत का और विस्तार से न्याय दर्शन के विभिन्न तत्वों से विश्लेषण कर सकता हूँ।